कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2020 / भाग(9) / 493 दिनांक :: 02 जुलाई, 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 28 जून, 2021 को सांय 4.00 बजे श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 17 फरवरी 2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **17 फरवरी 2021** का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **17 फरवरी 2021** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.06.2021 में आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021–22 एंव वास्तविक आय–व्यय वर्ष 2020–21 पारित करवाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.06.2021 में आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021–22 एंव वास्तविक आय–व्यय वर्ष 2020–21 पारित करवाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने बाबत्	जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) के अध्याय 9 की धारा 59(1) के अनुसरण में प्रचलित प्रारूप में प्राप्तियों एंव व्यय के अनुमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्ष 2020–21 के वास्तविक आय व्यय के अनुमोदन कि अनुशंषा कि जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) के अध्याय 9 की धारा 59(1) के अनुसरण में प्रचलित प्रारूप में प्राप्तियों एंव व्यय के अनुमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्ष 2020–21 के वास्तविक आय व्यय के अंक जिनका विस्तृत विवरण संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत है, एतद् दवारा आयुक्त महोदय के अवलोकन एंव तत्पश्चात उनके दवारा सुझाये गये उपान्तरणों के समावेश पश्चात इसको प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु रखने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत है। प्राप्तियों एंव व्यय का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :–

(रू लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	आय व्ययक के अनुमान 2020–21	वास्तविक आय व्यय 2020–21	आय व्ययक अनुमान 2021–22
1	कुल प्राप्तियाँ	80000.00	25622.96	88050.00
2	कुल व्यय	80000.00	20951.84	88050.00

निर्णय

बैठक में निदेशक–वित्त द्वारा बजट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–वित्त द्वारा प्रस्तुत आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021–22 एंव वास्तविक आय–व्यय वर्ष 2020–21 का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: पुलिस लाईन रातानाड़ा के टेनिस कोर्ट में लगी सोड़ियम फ्लड़ लाईटो के स्थान पर एल.ई.ड़ी फ्लड़ लाईट लगाने का कार्य की Authority Meeting की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

पुलिस लाईन रातानाडा के टेनिस कोर्ट में लगी सोडियम फ्लड लाईटो के स्थान पर एल.ई.डी फ्लड हेतु राशि रू. 5.77 लाख की प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति Authority Meeting की प्रत्याशा में जारी की गई थी। आयुक्त महोदय द्वारा कार्य की आवश्यक प्रकृति होने के कारण तथा JDA क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण पत्रावली के पेरा सं. 29 दिंनांक 04.06.2021 को Authority Meeting की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय् स्वीकृति जारी की गई थी।

अतः प्राधिकरण की Authority Meeting की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्राधिकरण बैठक की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90 व 90/1 को ट्रांसपोर्ट नगर से डिनॉटिफाइड करने के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	खसरा स 90 व 90/1 ग्राम आंगणवा के संबंध मे।	ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90 व 90/1 को डिनॉटिफाइड करने के संबंध मे।

ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90/1 मे से 90 बीघा भूमि पुर्व में 27.9.2012 को कृषि मण्डी को हस्तांतरण हो चुकी है। वर्तमान मे खसरा संख्या 90 व 90/1 की शेष भूमि मे से 53.14 बीघा भूमि के मण्डी को हस्तांतरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

जोधपुर नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा सं 90 व 90/1 की 81.08 बीघा भूमि मे से 53.14 बीघा भूमि का पूर्व भू-उपयोग परिवर्तित/अनुमोदित ट्रांसपोर्ट / ऑटोमोबाइल्स नगर एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग से व्यावसायिक थोक व्यापार/वेयर हाउसिंग गोदाम प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर द्वारा की जाकर निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के अतिंम आदेश जारी करने से पूर्व अनुमोदित ट्रांसपोट/ऑटोमोबाइल्स नगर की योजना डिनॉटिफाइड के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करना होगा।

अतः प्रकरण खसरा संख्या 90 व 90/1 ग्राम आंगणवा को पूर्व उपयोग ट्रांसपोर्ट/ ऑटोमोबाइल्स नगर से डिनॉटिफाइड करने हेतु प्रस्तावित है।

प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7.4.2021 के प्रस्ताव संख्या 35 मे निर्णय लिया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति को आवंटित भूमि को ट्रांसपोर्ट /ऑटोमोबाईल्स नगर योजना मे से डि-नोटिफाईड करने की कार्यकारी समति की अभिशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक नें उचित निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम आंगणवा स्थित ट्रांसपोर्ट/ऑटोमोबाईल नगर योजना में कृषि उपज मण्डी समिति को आवंटित भूमि को ट्रांसपोर्ट/ऑटोमोबाईल्स नगर योजना में से डि-नोटिफाईड करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जोन पश्चिम के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षैत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु जोन पश्चिम के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 07.03.2019 को वाप्कोस लिमिटेड को जारी किया गया था। वाप्कोस लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के कम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य प्रस्तुत किया हैं। कन्सल्टेंट द्वारा निम्न कम में मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. Map Showing Zone Boundary on Urban Area,
2. Map Showing Proposed Landuse Plan of Master Plan of West Zone,
3. Map Showing physical features and property level details,
4. Map Showing Existing landuse and superimposition of revenue maps, revenue roads, commitments, Government land and other details,
5. Map Showing Social Infrastructure,
6. Map Showing Physical Infrastructure,
7. Map Showing Existing Development and Master pLan Laqnduse superimposition,
8. Map Showing Traffic and Transportation,
9. Map Showing Proposals on the basis of variaitions,

10. Map Showing Proposals on the basis of Deviations,
11. Map Showing Draft Zonal Development Plan.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के कम में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियो के नियमन से पूर्व जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत उक्त जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया गया हैं जो कि समिति के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 23 के तहत जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी की जानी हैं

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2021 का प्रस्ताव संख्या 2 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:– '**बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान का अनुमोदन करते हुए, जोनल डवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया**''

प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति की बैठक में सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गई है। अतः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना के निर्देशन में वॉप्कोस द्वारा तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान (पश्चिम जोन डब्ल्यू.2) का पी.पी.टी. द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बैठक में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री मुकेश भाटी ने सुझाव दिया किया प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जी.आई.एस. मैप की सूचना कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से प्राप्त की जाकर उक्त सूचना का समावेश भी जोनल डवलपमेन्ट प्लान में किया जाना उचित होगा। श्री भाटी के उक्त सुझाव पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से उपरोक्त सुझावानुसार सूचना प्राप्त कर इसका समावेश जोनल डवलपमेंट प्लान करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन पश्चिम डब्ल्यू.2) ड्राफ्ट को आमजन से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु गजट के असाधारण अंक में अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: जोधपुर नगरीय क्षेत्र 2031 जोन बाउण्ड्री मैप के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर नगरीय क्षेत्र–2031 के मानचित्र को कुल 18 जोन व 3 ग्रोथ सेन्टर्स में विभाजित करते हुए नगरीय क्षेत्र जोन बाउण्ड्री मैप प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं जोनल डवलपमेंट प्लान बैठक की समीक्षा में सम्पूर्ण जोधपुर के नगरीय क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया

है। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 दिनांक 17.02.2021 को अनुमोदित हो चुका है, जिसके अनुसार नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4,46,700 हैक्टेयर है। वर्तमान में जोधपुर नगरीय क्षेत्र के यू–1 व यू–2 क्षेत्र में पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण के पार्ट क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिनको नाम E2, W2, N1, N2,(उत्तर जोन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है) S2 रखा जाना प्रस्तावित है। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न जोन में निम्नानुसार विभक्त किया जाना प्रस्तावित है –

01. नगर निगम उत्तर एवं नगर निगम दक्षिण के क्षेत्र को उनकी सीमा अनुसार पृथक–पृथक जोन (N व S)।
02. यू–1 व यू–2 क्षेत्र में पूर्व में पार्ट जोनल डवलमेंट प्लान की जोन सीमा से शेष रहे भाग को कुल 7 नये जोन में विभाजित किया गया है। जिनको E1, W1, S1, E3,W3, N3, S3 रखा जाना प्रस्तावित है।
03. यू–1 व यू–2 के बाहरी ग्रामीण क्षेत्र को चार जोन E4, W4, N4, S4 में विभाजित किया जाना प्रस्तावित है।
04. उपरोक्त के अतिरिक्त जोधपुर नगरीय क्षेत्र में भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 3 राजस्व ग्राम– तिंवरी, बावडी व मथानिया की जनसंख्या 10,000 से अधिक होने के कारण इन तीनों ग्रामों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में अंकित किया गया है।

जोधपुर नगरीय क्षेत्र–2031 के मानचित्र की उपरोक्तानुसार जोन सीमाओं बाबत् सभी उपायुक्तगणों से चर्चा कर दिनांक 01.06.2021 को नगरीय क्षेत्र बाउण्ड्री मैप का अनुमोदन कार्यकारी समिति व प्राधिकरण बैठक की प्रत्याशा में किया जा चुका था, जिसके कम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2021 के प्रस्ताव संख्या 04 में निम्न निर्णय लिया गया:– **"बैठक में बाद विचार विमार्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बाउन्ड्री मेंप का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।"**

अतः उपरोक्तानुसार जोधपुर नगरीय क्षेत्र–2031 मानचित्र को कुल 18 जोन व 3 ग्रोथ सेन्टर्स में विभाजित करते हुए नगरीय क्षेत्र जोन बाउण्ड्री मैप प्राधिकरण के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में निदेशक–आयोजना द्वारा जोधपुर नगरीय क्षेत्र 2031 जोन बाउण्ड्री मैप का प्रस्ततीकरण किया गया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित तैयार किये गये जोधपुर नगरीय क्षेत्र 2031 जोन बाउण्ड्री मेप का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2020/भाग–9 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या ..117../एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2020/भाग(9)/495-511 दिनांक ::02 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदया, नगर निगम, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
4– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
5– उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिंक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
6– संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
8– मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
9– प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10– आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण), जोधपुर
11– उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
12– वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
13– निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14– निदेशक– अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15– उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16– अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17– एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19– ....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–1

श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 28 जून, 2021 को सांय 4.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. **श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**
2. **श्री सत्यवीर यादव, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर**
3. **श्री इमजियाज बेग, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**
4. **श्री मुकेश भाटी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर**
5. **श्री राहूल गुप्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर**
6. **श्री योगेश कुमार, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोन जोधपुर, जोधपुर**
7. **श्री करण राज जीनगर, उप आवासन आयुक्त–द्वितीय, राजस्थान आवास मण्डल, जोधपुर**
8. **श्री भजन लाल, उप आवासन आयुक्त–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर**
9. **श्री राकेश कुमार शर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं विशेषाधिकारी भूमि (कार्यवाहक सचिव), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**
10. श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री ओ.पी. सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर